

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापक :- 7/शंज०- 02- 89/2016 -

58(M)

राँची, दिनांक :- 9/12/22

सेवा में,

* अनौपचारिक रूप से

परामर्शित

महालेखाकार,

झारखण्ड, डोरण्डा, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना अन्तर्गत 'अन्य व्यय' मद से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना शीर्ष के अधीन याँत्रिक नागरिक प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत 04 (चार) अदद योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समेकित राशि रुपये 174.63 लाख (एक करोड़ चौहत्तर लाख तिरसठ हजार रुपये) मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

पेयजल एवं स्वच्छता याँत्रिक नागरिक प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 04 अदद प्राक्कलनों पर अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता याँत्रिक अंचल, राँची के द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. उक्त तकनीकी स्वीकृत प्राप्त प्राक्कलनों के आलोक में राशि रुपये 174.63 लाख (एक करोड़ चौहत्तर लाख तिरसठ हजार रुपये) मात्र पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी विवरणी निम्न है :-

(राशि लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	Supplying & laying of different sizes of heavy duty Aluminum cable, Supplying & fitting of outdoor stand mounted feeder panel for high mast light etc. For the Street lighting system on the bank of Hatia Dam.	26.97327	26.97
2.	Supplying, Installation, Commissioning & Testing of 33/11 KV, 5 MVA Power Distribution Transformer for Swarnarekha water supply scheme at 33/11 KV Electric sub-station (Old) Rukka.	82.04082	82.04
3.	Supplying and fitting 33KV VCB with 33KV C.T. & P.T and renovation of Electric Sub-station (33/11KV) with its all components for Booty plant.	39.67924	39.67
4.	Supplying, Installation, Testing and Commissioning of 11000/433 vlots, Outdoor type copper wound 1250 KVA off load Tap Changer Power transformer at Booty Sub-Station.	25.95530	25.95
Total		174.64863	174.63

(एक करोड़ चौहत्तर लाख तिरसठ हजार रुपये)

3. स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष- 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय; उप-मुख्य शीर्ष- 01- जल पूर्ति; लघु शीर्ष- 796- जनजातिय क्षेत्र उपयोजना; उप शीर्ष- 06- बड़े शहरों में जलापूर्ति योजना (पाईपों से); उप योजना शीर्ष- 01- शहरी जलापूर्ति योजना; विस्तृत शीर्ष- 07- अन्य व्यय; 59- अन्य व्यय (विपत्र कोड- 36S42150179606010759) शीर्ष के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में उपबन्धित राशि रुपये 8000.00 लाख मात्र से होगा।
4. योजनान्तर्गत व्यय होने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता याँत्रिक नागरिक प्रमण्डल, राँची होंगे और राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार, राँची से की जाएगी।
5. योजना का लेखा संधारण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतीकरण संबंधित कार्यपालक अभियंता करेंगे तथा संबंधित अधीक्षण अभियंता स्वयं इसकी जाँच कर पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।
6. योजना का कार्य खुली निविदा के माध्यम से नियम सम्मत प्रक्रिया के अनुपालन के पश्चात् ही पूर्ण किये जायेंगे।

7. (i) संबंधित अधीक्षण अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि कराये गए कार्यों का भौतिक सत्यापन कर कार्यपालक अभियंता से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र से पूरी तरह संतुष्ट होने के उपरान्त ही एक उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को समर्पित करेंगे।
- (ii) कार्यपालक अभियंता, योजना गुणवत्ता तथा समयबद्ध कार्य पूर्ण होने तथा व्यय विवरणी प्रेषण हेतु जिम्मेवार होंगे।
- (iii) सभी पदाधिकारी PWD code में दिए दायित्वों का निर्वहन, पर्यवेक्षण/निरीक्षण कार्य विधिवत निभायेंगे।
8. संबंधित कार्यपालक अभियंता इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देंगे कि किसी अन्य योजना की निधि से इस कार्य का न तो दोहरीकरण हुआ है और न होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में इस योजना की राशि का विचलन अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जायेगा।
9. योजना के नियंत्री पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।
10. (i) सभी कार्यपालक अभियंता (सिविल/मेकेनिकल) अपने-अपने दायित्व का निर्वहन विभागीय निर्देशों के अनुरूप करेंगे। दोनों अधीक्षण अभियंता (सिविल/मेकेनिकल) पूर्णतः निगरानी करेंगे।
- (ii) संबंधित आवश्यक NOC इत्यादि ससमय एवं कार्य स्थल सक्षम प्राधिकार से प्राप्त किया जायेगा।
- (iii) कार्य स्थल की उपलब्धता से पूर्णतः संतुष्ट होकर PWD/SBD के प्रावधानों के अनुरूप कार्य किया जायेगा।
11. (i) प्रस्तुत योजना का कार्यान्वयन PWD code के प्रावधान के आलोक में स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार एवं वर्णित विशिष्टियों के अनुरूप किया जायेगा।
- (ii) Third Party Inspection हेतु विभाग द्वारा निर्गत पत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) योजनाओं के समय बद्धता (Time of completion) हेतु निर्गत विभागीय आदेश संख्या- 197, दिनांक- 05.09.2013 का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जायेगा।
12. वित्त विभाग के पत्रांक- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 1800, दिनांक- 15.07.2003 एवं पत्रांक- 2093, दिनांक- 21.07.2016 के निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 का अनुपालन किया जायेगा।
13. योजना की स्वीकृति मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के पत्रांक- 301, दिनांक- 11.03.2015 के क्रम में दी जा रही है।
14. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
15. यह आवंटनादेश नहीं है, इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

(प्रशांत कुमार)-
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :- 9/4/22

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संबंधित माननीय सांसद और माननीय विधायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची/उपायुक्त, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, राँची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संयुक्त सचिव (प्र०को०)/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमण्डल, राँची/राज्य समन्वयक (IT M&E) SPMU को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी- 07/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(प्रशांत कुमार)-
सरकार के सचिव।